



# संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 11/2015-एनडीए-II

(आवेदन भरने की अंतिम तारीख 17.07.2015)

## राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी

### परीक्षा (II), 2015

(आयोग की वेबसाइट - [www.upsc.gov.in](http://www.upsc.gov.in))

दिनांक 20.06.2015

फा. सं. 7/3/2015-प.1(ख) - राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना और वायु सेना स्कंधों के लिए 2 जुलाई, 2015 से शुरू होने वाले 136वें पाठ्यक्रम हेतु और नौ सेना अकादमी के 98वें भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स (आईएनएसी) में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 27 सितंबर, 2015 को एक परीक्षा आयोजित की जायेगी। भारतीय नौसेना अकादमी में भर्ती उम्मीदवारों को 4 वर्ष का बी.टेक. कोर्स करना होगा तथा रिक्तियों/पदों की उपलब्धता के आधार पर नौसेना के कार्यपालक और तकनीकी विभाग में भर्ती का अवसर भी दिया जा सकता है। आयोग यदि चाहे तो उपर्युक्त परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर सकता है।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या इस प्रकार होगी।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 320 [208 थल सेना के लिए और 42 नौ सेना के लिए और 70 वायु सेना के लिए]

भारतीय नौ सेना अकादमी 55

[10+2 कैडेट एंटी स्कीम]

योग 375

रिक्तियां अनंतिम हैं तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय नौ सेना अकादमी कोर्स की प्रशिक्षण क्षमतानुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

**विशेष ध्यान :** (i) प्रत्येक उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपने वरीयता क्रम के अनुसार (1 से 4) सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह जितनी चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करें, ताकि योग्यता क्रम में उनके रैंक को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

(ii) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं सेवाओं पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा जिनके लिए वे अपनी वरीयता व्यक्त करते हैं, अन्य सेवा व सेवाओं पर नहीं, उम्मीदवार द्वारा अपने प्रपत्र में पहले निर्दिष्ट वरीयता में वृद्धि/परिवर्तन के अनुरोध को आयोग स्वीकार नहीं करेगा।

(iii) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा।

**2. परीक्षा के केन्द्र :**

परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला	गंगटोक	पणजी (गोवा)
अहमदाबाद	हैदराबाद	पटना
ऐजल	इंफाल	पोर्ट-ब्लेयर
इलाहाबाद	ईटानगर	रायपुर
बंगलूरु	जयपुर	रांची
बरेली	जम्मू	संबलपुर
भोपाल	जोरहाट	शिलांग
चंडीगढ़	कोच्चि	शिमला
चेन्नई	कोहिमा	श्रीनगर
कटक	कोलकाता	तिरुवनंतपुरम
देहरादून	लखनऊ	तिरुपति
दिल्ली	मदुरै	उदयपुर
धारवाड़	मुंबई	विशाखापटनम
दिसपुर	नागपुर	

आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आवंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों का आवंटन 'पहले आवेदन करो पहले आवंटन पाओ' पर आधारित होगा तथा यदि किसी विशेष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी

## महत्वपूर्ण

**1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :**

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

**उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।**

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है।

**2. आवेदन कैसे करें:**

उम्मीदवार [www.upsonline.nic.in](http://www.upsonline.nic.in) वेबसाइट का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए संक्षेप में अनुदेश परिशिष्ट-II में दिए गए हैं। विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

**3. आवेदन भरने की अंतिम तारीख :**

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 17 जुलाई, 2015 रात्रि 11.59 बजे तक भरे जा सकते हैं जिसके पश्चात लिंक निरूपयोज्य होगा।

**4. परीक्षा आरंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व पात्र उम्मीदवारों की ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ई-प्रवेश पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट [www.upsonline.nic.in](http://www.upsonline.nic.in) पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय सभी आवेदकों को वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करेगा।**

**5. गलत उत्तरों के लिए दंड :**

अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जायेगा।

**6. ओएमआर पत्रक (उत्तर पत्रक) में लिखने और चिन्हित करने हेतु उम्मीदवार केवल काले रंग के बॉल पेन का इस्तेमाल करें। किसी अन्य रंग के पेन का इस्तेमाल वर्जित है, पेंसिल अथवा स्याही वाले पेन का इस्तेमाल न करें। उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका शृंखला कोड के सर्द्धर्भ में, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे नोटिस के परिशिष्ट -III में निहित "विशेष अनुदेशों" को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।**

**7. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर :**

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में 10.00 बजे और 5.00 बजे के मध्य तक आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।

**8. मोबाइल फोन प्रतिबंधित :**

(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ अथवा अन्य संचार यंत्रों की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का कोई अतिरिक्त होने पर भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/ब्लूटूथ/पेजर्स अथवा कीमती/मूल्यावान वस्तुओं सहित उक्त प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में हुए किसी प्रकार के नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

**उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड से ही आवेदन करने की जरूरत है। किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है**

आवेदक को कोई केन्द्र आवंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। अत एव आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले। ध्यान दें: उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद स्थिति के अनुसार आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जायेगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**3. पात्रता की शर्तें :**

(क) **राष्ट्रीयता :** उम्मीदवार या तो :-

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा हो, या
3. भूटान की प्रजा हो, या

4. भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो; या

5. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, यूगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, जांबिया, मलावी, जैरे तथा इथोपिया या वियतनाम से प्रजनन करके आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो। पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) **आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति :**

केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार जिनका जन्म 2 जनवरी, 1997 से पहले न हुआ हो तथा 1 जनवरी, 2000 के बाद न हुआ हो, पात्र हैं।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो

मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्ट्रों में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आये हुए 'मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं।

**टिप्पणी-1 :** उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

**टिप्पणी-2 :** उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

**टिप्पणी-3 :** उम्मीदवारों को आवेदन-प्रपत्र के संबंधित कॉलम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

**टिप्पणी-4 :** उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा। चाहे वह उस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है सब उससे वसूल किया जाएगा।

(ग) **शैक्षिक योग्यताएं :**

(i) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना स्कंध के लिए :** किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

(ii) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायु सेना और नौ सेना स्कंधों तथा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंटी स्कीम के लिए :** किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भौतिकी और गणित सहित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

जो उम्मीदवार स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 के अधीन 12 वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे उम्मीदवार जो एसएसबी साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं लेकिन एसएसबी साक्षात्कार के समय मैट्रिक/10+2 या समकक्ष प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें विधिवत अनुप्रमाणित फोटोप्रति "महानिदेशालय, भर्ती, सेना मुख्यालय, वैस्ट ब्लॉक-III, आर. के. पुरम, नई

दिल्ली-110066" को तथा नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों के मामले में "नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआई एण्ड आर अनुभाग, कमरा सं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011" को 24 जून, 2016 तक भेजना होगा. ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. अन्य वे सभी उम्मीदवार जो मूल रूप में अपने मैट्रिक और 10+2 पास या समकक्ष प्रमाण पत्र एसएसबी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर चुके हैं तथा एसएसबी प्राधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करवा चुके हैं उन्हें सेना मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय, जैसा भी मामला हो, इन्हें फिर से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है.

ऐसे मामलों में जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हों, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा दिये गये मूल प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य होंगे, ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां/फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जायेंगी अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएं हों, आयोग के विचार से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता हो.

**टिप्पणी-1 :** वे उम्मीदवार जो 11 वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं, इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं.

**टिप्पणी-2 :** वे उम्मीदवार, जिन्हें 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अभी तक अर्हता प्राप्त करनी है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि उनको दी गई यह विशेष छूट है. उन्हें 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख (24 जून, 2016) तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबंधित किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा.

**टिप्पणी-3 :** जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

**टिप्पणी-4 :** वे उम्मीदवार जो आईएनएसबी/पीएबीटी में पहले फेल हो चुके हैं, वायु सेना के लिए योग्य नहीं हैं.

**(घ) शारीरिक मानक :**

उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2015 हेतु परिशिष्ट-IV में दिए गए शारीरिक मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए.

वे उम्मीदवार जिन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें सशस्त्र बल के किसी प्रशिक्षण संस्थान से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निकाल दिया गया हो, आवेदन करने की योग्यता नहीं रखते हैं.

**4. शुल्क :**

उम्मीदवारों को रु. 100/- (रुपये सौ मात्र) फीस के रूप में (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों/टिप्पणी 2 में उल्लिखित जे.सी.ओ./एन.सी.ओ./ओ.आर. के बच्चों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/ स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा.

**ध्यान दें-1.** जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्य दिवस को ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं. "नकद भुगतान प्रणाली" का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले, अर्थात् दिनांक 16-07-2015 को रात्रि 23.59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा. तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन-स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं. वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन-स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात् 17-07-2015 को 23-59 बजे तक ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं.

**ध्यान दें-2:** उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है. किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है. निर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त रहित आवेदन को छोड़कर) एकदम अस्वीकृत कर दिए जाएंगे.

**ध्यान दें-3:** एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है.

**ध्यान दें-4:** जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे. ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी. आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा. दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों.

**टिप्पणी-1:** अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और टिप्पणी 2 में उल्लिखित उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा.

**टिप्पणी-2:** थल सेना में सेवारत/भूतपूर्व जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/गैर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों तथा भारतीय नौसेना/भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के अफसरों के बच्चों को निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी यदि वे मिलिट्री स्कूल (जिन्हें पहले किंग जॉर्ज स्कूल के नाम से जाना जाता था)/ सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाये जाने वाले सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं (विशेष ध्यान: ऐसे सभी उम्मीदवारों को संबद्ध प्रिंसिपलों से शुल्क में छूट हेतु उनकी पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और एस.एस.बी. परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा एस.एस.बी. परीक्षण/ साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा).

**5. आवेदन कैसे करें :**

उम्मीदवार [www.upsonline.nic.in](http://www.upsonline.nic.in) वेबसाइट सुविधा का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं.

**टिप्पणी-1:** आवेदकों को केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है. तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थिति वश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है. एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार ये नोट कर लें कि केवल उच्च आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाले आवेदन पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जायेगा.

**टिप्पणी-2:** सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले ही सरकारी सेवा में हों, जिनमें सशस्त्र सेना बल के उम्मीदवार भी शामिल हैं और भारतीय नौसेना के नौसैनिक (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित). राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जॉर्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाये जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों अथवा निजी रोजगार में कार्यरत उम्मीदवारों को आयोग को सीधे ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

**विशेष ध्यान दें :** (क) जो व्यक्ति पहले से ही स्थायी या अस्थायी हैसियत से सरकारी सेवा में हों या आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर कार्य प्रभारित कर्मचारी या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं; (ख) सशस्त्र सेना बल में कार्यरत उम्मीदवार भारतीय नौसेना के नौसैनिक (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित), और (ग) राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जॉर्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाये जाने वाले सैनिक स्कूलों को छात्रों को अपने कार्यालय/विभाग अध्यक्ष, कमांडिंग अधिकारी, संबद्ध कॉलेज/स्कूल के प्रिंसिपल, जैसा भी मामला हो, को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है.

**उम्मीदवार नोट करें कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता/संबद्ध प्राधिकारी से इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/बैठने वाले उम्मीदवारों की अनुमति रोकने संबंधी कोई पत्राचार प्राप्त होता है, तो उनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जा सकते हैं/उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है.**

**टिप्पणी-3 :** उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए. यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित ई-प्रवेश प्रमाण पत्र में दशयि गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

**टिप्पणी-4 :** जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे भरे हुए हों, उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृत के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा.

**उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणी और शुल्क में छूट आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा. इसलिए वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं. अतः परीक्षा में उनका प्रवेश भी पूर्णतः अनन्तिम होगा. यदि किसी बाद की तारीख को सत्यापन करते समय यह पता चलता है कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी. परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के दिसंबर, 2015 में घोषित होने की संभावना है.**

**टिप्पणी 5:** जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर ली है, उन्हें आयु और शैक्षिक योग्यता संबंधी अपने मूल प्रमाण-पत्र भर्ती महानिदेशालय, सेना मुख्यालय, वेस्ट ब्लॉक-III, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066 अथवा नौसेना मुख्यालय, डीएमपीआर, ओआईएण्डआर अनुभाग, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है.

साक्षात्कार के लिये बुलाये गये सभी उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के समक्ष मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे. जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें साक्षात्कार के तुरंत बाद मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना होगा. जांच पड़ताल के बाद मूल प्रमाण पत्र लौटा दिए जाएंगे, जो उम्मीदवार पहले ही 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे सेवा चयन बोर्ड हेतु अपना 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाण-पत्र या अंक सूची अवश्य लाएं.

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है :

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :

- किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या
- किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
- अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या
- जाली प्रलेख या फेर-बदल किये गये प्रलेख प्रस्तुत करना, या
- अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या
- परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या
- परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या
- परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या
- परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या

- अपने पास रखा पाया गया हो, या
- उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित ई-प्रवेश प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेश का उल्लंघन करना, या
- ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना.

वह अपने को दण्ड-अभियोजना का शिकार बनाने के अतिरिक्त

(क) आयोग की जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है और/या

(ख) स्थाई रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए अपवर्जित किया जा सकता है :

(1) आयोग द्वारा उनकी किसी परीक्षा या चयन के लिए;

(2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए; और

(ग) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी. किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो.

**6. आवेदन करने की अंतिम तारीख :**

ऑनलाइन आवेदन 17 जुलाई, 2015 रात्रि 11.59 बजे तक भरे जा सकते हैं जिसके पश्चात लिंक निरूपयोज्य होगा.

**7. यात्रा भत्ता**

किसी विशेष प्रकार के कमीशन अर्थात् स्थायी अथवा अल्पकालिक के लिए एसएसबी साक्षात्कार हेतु प्रथम बार उपस्थित होने वाले उम्मीदवार भारतीय सीमा के अंदर आरक्षण एवं स्लीपर प्रभारों सहित एसी-3 टायर आने-जाने के रेल के किराए अथवा बस के किराए के हकदार होंगे. जो उम्मीदवार समान प्रकार के कमीशन के लिए पुनः आवेदन करते हैं, वे किसी परवर्ती अवसर के लिए यात्रा भत्ता के हकदार नहीं होंगे.

**8. आयोग/थल सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार :**

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा.

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा. ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट [www.upsc.gov.in](http://www.upsc.gov.in) पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं. डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा. ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् आरआईडी तथा जन्म तिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्म तिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि उपलब्ध होने चाहिए.

(ii) यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व तक ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबंधित कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए.

इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या : 011-23385271/011-23381125/ 011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है. यदि उम्मीदवार से ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिये उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिये वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा.

(iii) सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की त्रुटि/असंगति होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें. किसी कोर्स में प्रवेश विभिन्न कोर्सों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनकी पात्रता तथा उम्मीदवार द्वारा दिये गये वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर दिया जाएगा.

**उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर रहेगा. यह पात्रता की शर्तों के सत्यापन किए जाने पर आधारित होगा.**

(iv) यदि उम्मीदवार को किसी दूसरे उम्मीदवार से संबंधित ई-प्रवेश पत्र मिल जाये जो उसे आयोग को तुरंत सही ई-प्रवेश पत्र जारी करने के लिये नोटिस में लाना चाहिए, उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार को जारी ई-प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा देने के की अनुमति दी जाएगी।

(v) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(vi) उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(vii) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो।

**महत्वपूर्ण :** आवेदन के संबंध में सभी पत्र-व्यवहार परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष
2. रजिस्ट्रेशन आईडी (आरआईडी)
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)
5. पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।

**विशेष ध्यान-1 :** जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

**विशेष ध्यान-2 :** यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है या जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के अगर परीक्षा के लिये आवेदन करने के बाद, अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिये कि परीक्षा के लिये लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल; सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच, आरटीजी (रा. र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खंड III, स्कंध-1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. : 26175473 नौसेना/ नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, ओ आई एण्ड आर अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष सं. 23010097/ 23011282.

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी.ओ. 3-(ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 दूरभाष सं. : 23010231 एक्सटेंशन 7081, को सूचित कर देना चाहिए।

जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किये

जाने के दावे से बंचित हो जाएगा।

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उम्मीदवारों को अपने एसएसबी केन्द्र और साक्षात्कार की तारीख के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर लॉग-ऑन करना चाहिए:-

[www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in)  
[www.joinindiannavy.gov.in](http://www.joinindiannavy.gov.in)  
[www.careerairforce.nic.in](http://www.careerairforce.nic.in)

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए अनुशंसित हैं वह अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा से 20 दिन के पश्चात् सम्बन्धित सर्विस हेडक्वार्टर्स के निम्नलिखित पते पर संपर्क करें या वेबसाइट को देखें :-

सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए - सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खंड III, स्कंध-(I), आर.के. पुरम नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473, या [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in)

नौसेना/नौ सेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए- नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, ओआई एंड आर अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010097. ई-मेल [officer-navy@nic.in](mailto:officer-navy@nic.in) या [www.joinindiannavy.gov.in](http://www.joinindiannavy.gov.in)

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवार के लिए- वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी.ओ.3(ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7081/7082 या [www.careerairforce.nic.in](http://www.careerairforce.nic.in)

उम्मीदवार को भेजे गये सम्मन-पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिये पहुंचना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबंधित अनुरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा। इस प्रकार के अनुरोध उस चयन केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी को संबंधित होने चाहिए जहां से साक्षात्कार हेतु आह्वान-पत्र (कॉल लैटर) प्राप्त हुआ है। सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय में प्राप्त पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार **जनवरी 2016 से अप्रैल 2016** के दौरान भर्ती निदेशालय की सुविधानुसार किए जाएंगे।

योगात्माक्रम सूची कार्यभार ग्रहण अनुदेशों और चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी अन्य संगत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) का अवलोकन करें।

**9. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अंतिम परिणामों की घोषणा और अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश :**

संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा में आयोग के स्वनिर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा।

ये उम्मीदवार बुद्धिमत्ता परीक्षण तथा व्यक्तित्व परीक्षण के लिये सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे, जहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना स्कंधों और भारतीय नौ सेना अकादमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के उम्मीदवारों की अधिकारी क्षमता तथा वायु सेना के उम्मीदवारों का पायलट एप्टीट्यूड परीक्षण तथा अधिकारी क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के मामले में लागू पीएवीटी सेवा चयन बोर्ड से अर्हता प्राप्त उन सभी उम्मीदवारों के लिए भी जिन्होंने वायु सेना एक वरीयता के रूप में दी है उनकी योग्यता और इच्छा के आधार पर किया जाएगा।

**दो चरणों की चयन प्रक्रिया**

मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धिमत्ता परीक्षण पर आधारित दो चरणों की चयन-प्रक्रिया चयन केन्द्रों/वायु सेना चयन बोर्ड/नौ सेना चयन बोर्ड में प्रारंभ कर दी गई है, सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों/वायु सेना चयन बोर्ड/नौ सेना चयन बोर्ड पर पहुंचने से पहले दिन प्रथम चरण परीक्षण में रखा जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को द्वितीय चरण/शेष परीक्षाओं के लिए प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने पहला चरण उत्तीर्ण कर लिया होगा। वे उम्मीदवार जो चरण-II उत्तीर्ण कर लेंगे उन्हें इन प्रत्येक में से (i) अपनी जन्मतिथि के समर्थन में लिए मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष प्रमाण पत्र; और (ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ-साथ 2 फोटो प्रति भी जमा करनी होंगी।

जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर वहां परीक्षण देंगे वे अपने ही जोखिम पर इन परीक्षाओं में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है, उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको किसी व्यक्ति की लापरवाही से या अन्यथा कोई चोट पहुंचती है उसके लिए वे सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे। उम्मीदवारों के माता-पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकार्यता हेतु थल सेना/नौ सेना/नौ सेना अकादमी और वायु सेना के उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) अधिकारी क्षमता परीक्षण में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे, जो क्रमशः आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके स्वनिर्णय के अनुसार निर्धारित किए जायेंगे। वायु सेना के उम्मीदवारों के अतिरिक्त सेवा चयन बोर्ड अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को अपनी इच्छानुसार पात्रता और वायु सेना एक वरीयता के रूप में दी हो, पीएवीटी में अलग अर्हता प्राप्त करनी होगी।

अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को इन शर्तों पर उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर एकल संयुक्त सूची में रखा जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की थल सेना, नौ सेना, वायु सेना में और भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में प्रवेश के लिए अंतिम रूप से नियतन/चयन, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को देखते हुए उम्मीदवारों की पात्रता, शारीरिक स्वस्थता और योग्यता/सह-वरीयता के अनुसार होगा। वे उम्मीदवार जो एक से अधिक सेवाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के पात्र हैं, उनके

नियतन/चयन पर, उनके द्वारा दिए गए वरीयता-क्रम के संदर्भ में विचार किया जाएगा और किसी एक सेवा/पाठ्यक्रम में उनके अंतिम रूप से नियतन/चयन लिए जाने पर, उनके नाम पर शेष सेवाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

**विशेष ध्यान :** वायु सेना के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीट्यूड परीक्षण केवल एक बार किया जाता है अतः उसके द्वारा प्रथम परीक्षण में प्राप्त ग्रेड वायु सेना चयन बोर्ड के सामने बाद में होने वाले साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा। जो उम्मीदवार पायलट एप्टीट्यूड के प्रथम परीक्षण में असफल हो जाता है वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के वायु सेना विंग या जनरल ड्यूटी (पायलट) ब्रांच या नेवल एयर आर्म में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स में पायलट एप्टीट्यूड परीक्षण हो चुका है तो उन्हें इस परीक्षा के वायु सेना विंग के लिये तभी आवेदन करना चाहिए, अगर उन्होंने यह प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो। अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जायें इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

**10. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अनर्हताएं :**

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के किसी पहले कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी सुलभ विशेषताओं के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये थे उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

किंतु जिन उम्मीदवारों को अस्वस्थता के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी से वापस ले लिया गया था या जिन्होंने अपनी इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी हो उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते कि वे स्वास्थ्य तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

**11. उम्मीदवार को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबंधित उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

12. (क) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण (ख) आवेदन प्रपत्र भरने के लिए दिशानिर्देश/अनुदेश (ग) वस्तुपरक परीक्षाओं हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश (घ) अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक मानक से मार्गदर्शक संकेत और (ङ) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण आदि की विस्तृत जानकारी के संबंध में क्रमशः परिशिष्ट I, II, III, IV और V में विस्तार से समझाया गया है।

(टी. चिनसुम नौलक)  
अवर सचिव  
संघ लोक सेवा आयोग

## परिशिष्ट-I

### (परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

#### (क) परीक्षा की योजना :

1. लिखित परीक्षा के विषय, नियत समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे।

विषय	कोड	अवधि	अधिकतम अंक
गणित	01	2-1/2 घंटे	300
सामान्य योग्यता परीक्षण	02	2-1/2 घंटे	600
		<b>कुल</b>	<b>900</b>
सेवा चयन बोर्ड टेस्ट/साक्षात्कार 900			

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे। गणित और सामान्य योग्यता परीक्षण के भाग-ख के प्रश्न पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किये जाएंगे।

3. प्रश्न पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी हालत में उन्हें प्रश्न-पत्र के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी।

5. परीक्षा के एक अथवा सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विविक्षा पर रहेगा।

6. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (प्रश्न-पुस्तिकाओं) के उत्तर लिखने के लिये केलकुलेटर अथवा गणितीय अथवा लघुगणकीय सारणियां प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः ये उन्हें परीक्षा भवन में नहीं लानी चाहिए।

**(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण :**

#### प्रश्नपत्र-I गणित

(कोड संख्या 01)  
(अधिकतम अंक 300)

#### 1. बीज गणित :

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों पर संक्रिया, वेन आरेख, द-मॉरगन नियम, कार्तीय गुणन, संबंध, तुल्यता-संबंध।

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण।

संमिश्र संख्याएं-आधारभूत गुणधर्म, मापक, कोणांक, इकाई का घनमूल, संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली, दशमलव प्रणाली की एक संख्या का द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन, अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा हरात्मक श्रेणी, वास्तविक गुणांकों सहित द्विघात समीकरण, ग्राफों द्वारा दो चरों वाले रेखिक असमिका का हल, क्रमचय तथा संचय, द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग लघुगणक तथा उनके अनुप्रयोग।

#### 2. आव्यूह तथा सारणिक :

आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों पर संक्रिया आव्यूह के सारणिक, सारणिकों के आधारभूत गुणधर्म, वर्ग आव्यूह के सहखंडन तथा व्युत्क्रम, अनुप्रयोग-दो या तीन अज्ञातों में रेखिक समीकरणों के तंत्र का कैमर के नियम तथा आव्यूह पद्धति द्वारा हल।

#### 3. त्रिकोणमिति :

कोण तथा डिग्रियों तथा रेडियन में उनका मापन त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका योग तथा अंतर सूत्र, बहुल तथा अपवर्तक कोण।

व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन, अनुप्रयोग-ऊंचाई तथा दूरी, त्रिकोणों के गुणधर्म।

**4. दो तथा तीन विमाओं की विश्लेषिक ज्यामिति :** आयतीय कार्तीय निर्देशक पद्धति, दूरी सूत्र, एक रेखा का विभिन्न प्रकारों में समीकरण, दो रेखाओं के मध्य कोण एक रेखा से एक बिन्दु की दूरी, मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत्त का समीकरण, परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानक प्रकार, एक शांकव की उत्केंद्रता तथा अक्ष, त्रिविम आकाश में बिन्दु, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी, दिक्-को साइन तथा दिक्-अनुपात, समतल तथा रेखा के विभिन्न प्रकारों में समीकरण, दो रेखाओं के मध्य कोण तथा दो तलों के मध्य कोण गोले का समीकरण।

#### 5. अवकल गणित :

वास्तविक मान फलन की अवधारणा-फलन का प्रांत, रेंज व ग्राफ, संयुक्त फलन, एकैकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, सीमांत की धारणा, मानक सीमांत-उदाहरण, फलनों के सांतत्य-उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीज गणितीय संक्रिया, एक बिन्दु पर एक फलन का

अवकलन एक अवकलन के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रयोग। योग के अवकलज, गुणनफल और फलनों के भागफल, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज, द्वितीय श्रेणी अवकलज, वर्धमान तथा द्वस फलन, उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग।

**6. समाकलन गणित तथा अवकलन समीकरण :** अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडशः समाकलन, बीजिय व्यंजकों सहित मानक समाकल, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अतिप. रवल्यिक फलन निश्चित समाकलनों का मानांकन वक्ररेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण-अनुप्रयोग।

अवकलन समीकरण की डिग्री तथा कोटि की परिभाषा, उदाहरणों द्वारा अवकलन समीकरण की रचना, अवकल समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल, विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकलन समीकरणों का हल-उदाहरण। वृद्धि तथा क्षय की समस्याओं में अनुप्रयोग।

**7. सदिश बीजगणित :**

दो तथा तीन विमाओं में सदिश, सदिश का परिमाण तथा दिशा, इकाई तथा शून्य सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दुगुणनफल दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल, अनुप्रयोग-बल तथा बल के आवर्ण तथा किया गया कार्य तथा ज्यामितीय समस्याओं में अनुप्रयोग।

**8. सांख्यिकी तथा प्रायिकता :**

**सांख्यिकी :** आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण, ग्राफीय निरूपण-आयत चित्र, पाई चार्ट, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक. प्रसरण तथा मानक विचलन-निर्धारण तथा तुलना. सहसंबंध तथा समाश्रयण।

**प्रायिकता :** यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि, घटना, परस्पर अपरवर्जित तथा निशेष घटनाएं - असंभव तथा निश्चित घटनाएं, घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं. प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय-साधरण प्रश्नप्रतिदर्श समाविष्ट पर फलन के रूप में यादृच्छिक चरद्वि. आधारी बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण।

**प्रश्नपत्र-II**

**सामान्य योग्यता परीक्षण**

**(कोड संख्या 02)**

**(अधिकतम अंक-600)**

**भाग (क) अंग्रेजी :**

**(अधिकतम अंक 200)**

अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के

कुशल प्रयोग का परीक्षण हो सके. पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और प्रयोग विधि शब्दावली तथा अंग्रेजी में उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित परिच्छेद की बोधगम्यता तथा संबद्धता।

**भाग (ख) सामान्य ज्ञान :**

**(अधिकतम अंक 400)**

सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सामायिक विषय आयेंगे. इस प्रश्न-पत्र में शामिल किए गए विषयों का क्षेत्र निम्न पाठ्य-विवरण पर आधारित होगा. उल्लिखित विषयों को सर्वांग पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के ऐसे विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका इस पाठ्य विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है. उम्मीदवार के उत्तरों में विषयों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेधा और ज्ञान का पता चलना चाहिए.

**खंड-क (भौतिकी) :**

द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व, आर्कमिडिज का सिद्धांत, वायु दाब मापी, बिम्ब की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति नियम, बल और संवेग, बल समान्तर चर्तुभुज, पिण्ड का स्थायित्व और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान.

ऊष्मा का प्रभाव, तापमान का माप और ऊष्मा, स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा अभिगमन की विधियां।

ध्वनि तरंग और उनके गुण-धर्म, सरल वाद्य यंत्र, प्रकाश का ऋतुरेखीय चरण, परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय दर्पण और लेन्सेज, मानव नेत्र, प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक के गुण धर्म. पृथ्वी चुम्बक के रूप में स्थैतिक तथा धारा विद्युत. चालक और अचालक, ओहम नियम, साधारण विद्युत परिपथ. धारा के मापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव, वैद्युत शक्ति का माप प्राथमिक और गौण सेल. एक्स-रे के उपयोग निम्नलिखित के कार्य के संचालन के सिद्धांत : सरल लोलक, सरल घिरनी, साइफन, उत्तोलक, गुब्बारा, पंप, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्सूचक, तड़ित चालक, सुरक्षा फ्यूज.

**खंड-ख (रसायन शास्त्र) :**

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण तथा यौगिक, प्रतीक सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर) वायु तथा जल के रासायनिक गुण धर्म, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाई-आक्साइड की रचना और गुण धर्म, आक्सीकरण और अपचयन अम्ल, क्षारक और लवण

**कार्बन- भिन्नरूप**

उर्वरक-प्राकृतिक और कृत्रिम साबुन, कांच,

स्याही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपाउडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री।

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार, संयोजकता का प्रारंभिक ज्ञान.

**खंड-ग (सामान्य विज्ञान) :**

जड़ और चेतन में अंतर.

जीव कोशिकाओं, जीव द्रव और ऊतकों का आधार

वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान.

सामान्य महामारियों और उनके कारण तथा रोकने के उपाय.

खाद्य-मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत. खाद्य के अवयव

संतुलित आहार, सौर परिवार, उल्का और धूमकेतु, ग्रहण

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां

**खंड-घ (इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि) :**

भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर सर्वेक्षण तथा संस्कृति और सभ्यता की विशेष जानकारी

भारत में स्वतंत्रता आंदोलन

भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारंभिक अध्ययन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायती राज, सहकारी समितियां और साम.

दायिक विकास की प्रारंभिक जानकारी

भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य.

**महात्मा गांधी के मूल उपदेश**

आधुनिक विश्व निर्माण करने वाली शक्तियां, पुनर्जागरण, अन्वेषण और खोज, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और रूसी क्रांति, समाज पर विज्ञान और औद्योगिकी का प्रभाव. एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र, पंचशील लोकतंत्र, समाजवाद तथा साम्यवाद, वर्तमान विश्व में भारत का योगदान.

**खंड- ड. (भूगोल)**

पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और रेखांश, समय संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा, पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव, पृथ्वी का उद्भव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण, अपक्षय-यांत्रिक और रासायनिक, भूचाल तथा ज्वालामुखी, महासागर धाराएं और ज्वार-भाटे.

वायुमण्डल और इसका संगठन, तापमान और वायुमण्डलीय दाब. भूमण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, आर्द्रता, द्रव्यण और घर्षण.

जलवायु के प्रकार, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र, भारत का क्षेत्रीय भूगोल-जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण.

भारत के महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन, मुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग, भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मदें.

**खंड-च (सामयिक घटनाएं) :**

हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी, सामयिक महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं.

महत्वपूर्ण व्यक्ति-भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, इनमें सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल हैं.

**टिप्पणी :** इस प्रश्न-पत्र के भाग (ख) में नियत अधिकतम अंकों में सामान्यतः खण्ड क, ख, ग, घ, ङ तथा च प्रश्नों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20%, 20% तथा 10% अंक होंगे.

**बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण :**

“ वर्तमान में सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं- चरण-I तथा चरण-II. चरण- II में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, जो चरण-I में सफल रहते हैं. इसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) चरण-I के अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमत्ता रेटिंग (ओआईआर) परीक्षण चित्र बोध (पिक्चर परसेप्शन)\* विवरण परीक्षण” (पीपी एवं डीटी)

शामिल होते हैं. उम्मीदवारों को ओआईआर परीक्षण तथा पीपी एवं डीटी में उनके संयुक्त रूप से कार्यनिष्पादन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा.

(ख) चरण-II के अंतर्गत साक्षात्कार, ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी टास्क, मनोविज्ञान परीक्षण तथा सम्मेलन (काफ्रेंस) शामिल होता है. ये परीक्षण चरणबद्ध होते हैं. इन परीक्षणों का विवरण वेबसाइट

[www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) पर मौजूद है.

किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन तीन विभिन्न आकलनकर्ताओं, नामतः साक्षात्कार

अधिकारी (आईओ), ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी (जीटीओ) तथा मनोवैज्ञानिक, द्वारा किया जाएगा.

प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग-अलग अंक (वेटेज) नहीं हैं. आकलनकर्ताओं द्वारा उम्मीदवारों को अंकों का आबंटन सभी परीक्षणों में उनके समग्र

कार्यनिष्पादन पर विचार करने के पश्चात ही किया जाता है. इसके अतिरिक्त, काफ्रेंस हेतु अंकों का आबंटन भी तीनों तकनीकों में उम्मीदवार के आरंभिक कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड के निर्णय के आधार पर किया जाता है. इन सभी के अंक (वेटेज) समान हैं.

आईओ, जीटीओ तथा मनोविज्ञान के विभिन्न परीक्षण इस प्रकार तैयार किए हैं जिससे उम्मीदवार में अधिकारी सम्मत गुणों (ऑफिसर लाइक क्वालिटीज) के होने/नहीं होने तथा प्रशिक्षित किए जाने की उसकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके. तदनुसार, एसएसबी में उम्मीदवारों की अनुशंसा की अथवा नहीं की जाती है.”

## परिशिष्ट-II

### ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवारों वेबसाइट [www.upsconline.nic.in](http://www.upsconline.nic.in) का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- ऑनलाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
- उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा.
- उम्मीदवारों को 100/- रु. (केवल सौ रुपये) के शुल्क (अजा/अजजा और नोटिस के पैरा 4 के टिप्पणी 2 में उल्लिखित उम्मीदवारों जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, को छोड़कर) को या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है.
- ऑनलाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर **जेपीजी प्रारूप** में विधिवत रूप से इस प्रकार स्कैन करना है कि प्रत्येक 40 केबी से अधिक नहीं हो, लेकिन फोटोग्राफ के लिए आकार में 3 केबी से कम न हो और हस्ताक्षर के लिए 1 केबी से कम न हो.

- ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को दिनांक 20 जून, 2015 से 17 जुलाई, 2015 रात्रि 11.59 बजे तक भरा जा सकता है जिसके पश्चात् लिक निरूपयोज्य होगा.
- आवेदकों को एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भरने चाहिए, तथापि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवाश कोई आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र भरता है तो वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह से पूर्ण है.
- एक से अधिक आवेदन पत्रों के मामले में, आयोग द्वारा उच्च आरआईडी वाले आवेदन पत्र पर ही विचार किया जाएगा और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा.
- आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है.
- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल लगातार देखते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि @nic.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर की ओर निर्देशित हैं तथा उनके एसपीएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर की ओर नहीं.
- उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें.





## परिशिष्ट-IV

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक मानक के मार्गदर्शन संकेत

**टिप्पणी :** उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है. इस संबंध में मार्गदर्शक संकेत नीचे दिये गये हैं. बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें.

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि सेवा चयन बोर्ड से अनुशांसा के बाद सैनिक अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा में शीघ्र निर्णय के लिए छोटी मोटी कमियों/बीमारियों को दूर कर लें.

कुछ ऐसे दोष/बीमारियां नीचे दर्शाई गई हैं.

- (क) कान का मैल  
(ख) डेवयेटिड नेजल सेप्टम  
(ग) हाइड्रोसिल/फीमोसिस  
(घ) अधिक भार/कम भार  
(ङ) छाती कम होना  
(च) बवासीर  
(छ) गाहनी कामेस्टिया  
(ज) टांसिल  
(झ) वेरिकोसिल

**नोट :** केवल हाथ के भीतर की तरफ अर्थात् कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ शरीर पर स्थायी टैटू की अनुमति है. शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और उम्मीदवार को आगे के चयन से विवर्जित कर दिया जाएगा. जनजातियों को उनके मौजूदा रीति रिवाजों एवं परंपरा के अनुसार मामला दर मामला के आधार पर उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की अनुमति होगी. ऐसे मामलों में मंजूरी प्रदान करने के लिए कमांडेंट चयन केन्द्र सक्षम प्राधिकरण होगा.

सशस्त्र सेना में सभी प्रकार के कमीशन के लिए प्रवेश पाने वाले असैनिक उम्मीदवार चयन बोर्ड द्वारा अपनी जांच के दौरान किसी क्षति या संक्रमित रोग होने पर सेना के स्रोतों से सरकारी खर्च पर बाह्य-रोगी चिकित्सा के हकदार होंगे वे अस्पताल के अधिकारी-वार्ड में सरकारी खर्च पर अंतर्रोगी चिकित्सा के भी पात्र होंगे, बशर्ते कि

- (क) क्षति परीक्षण के दौरान हुई हो, अथवा  
(ख) चयन बोर्ड द्वारा परीक्षण के दौरान रोग का संक्रमण हुआ हो और स्थानीय सिविल अस्पताल में उपयुक्त जगह नहीं हो या रोगी को सिविल अस्पताल में ले जाना अव्यवहारित हो; अथवा  
(ग) चिकित्सा बोर्ड उम्मीदवार को प्रेक्षण हेतु दाखिल करना अपेक्षित समझे.

**नोट :** वे विशेष सेवा के हकदार नहीं हैं.

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशासित उम्मीदवार को सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी. अकादमी में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिये जाते हैं चिकित्सा बोर्ड का कार्यवृत्त गोपनीय होता है. जिसे किसी को नहीं दिखाया जाएगा. किंतु अयोग्य/अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड से अपील करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी. अपील चिकित्सा बोर्ड के दौरान अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के प्रावधान के बारे में सूचित किया जायेगा.

(क) उम्मीदवारों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक सैन्य कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो.

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन/दैहिक दोष या वजन की कमी नहीं होनी चाहिए. उम्मीदवार ज्यादा वजन और मोटा नहीं होना चाहिए.

(ग) कद कम से कम 157.5 सेंमी. (वायु सेना के लिए 162.5 सेंमी) का हो. गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमाऊं के

व्यक्तियों का 5 सेंमी. कम कद स्वीकार्य होगा. लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेंमी. की कमी भी स्वीकार्य की जा सकती है. कद और वजन मानक नीचे दिए जाते हैं.

**कद और वजन के मानक-थल सेना/वायु सेना के लिए सारणी-I**

कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता)	वजन किलोग्राम में		
	16-17 वर्ष	17-18 वर्ष	18-19 वर्ष
152	42.5	44.0	45.0
155	43.5	45.3	47.0
157	45.0	47.0	48.0
160	46.5	48.0	49.0
162	48.0	50.0	51.0
165	50.0	52.0	53.0
167	51.0	53.0	54.0
170	52.5	55.0	56.0
173	54.5	57.0	58.0
175	56.0	59.0	60.0
178	58.0	61.0	62.0
180	60.0	63.0	64.5
183	62.5	65.0	66.5

**कद और वजन के मानक-नौसेना के लिए सारणी-II**

कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता)	वजन किलोग्राम में		
	16 वर्ष	18 वर्ष	20 वर्ष
152	44	45	46
155	45	46	47
157	46	47	49
160	47	48	50
162	48	50	52
165	50	52	53
168	52	53	55
170	53	55	57
173	55	57	59
175	57	59	61
178	59	61	62
180	61	63	64
183	63	65	67

“तालिका I और तालिका II में दिए गए औसत वजन से वास्तविक वजन में  $\pm 10\%$  के अंतर को सामान्य सीमा में माना जाए.

किन्तु भारी हड्डियों वाले लंबे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है.

**टिप्पणी-1 :** ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित कर देता है कि उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा होने तक बढ़कर अपेक्षित मानक तक हो सकता है कद में 2.5 सेंमी की (नौ सेना के लिए 5 सेंमी) छूट दी जा सकती है.

**टिप्पणी-2 :** वायु सेना में पायलट के रूप में विशेष अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु टांग की लंबाई, जांच की लंबाई तथा बैठे हुए लंबाई की स्वीकार्य माप निम्न प्रकार होगा.

	न्यूनतम	अधिकतम
टांग की लंबाई	99.00 सेंमी.	120.00 सेंमी.
जांच की लंबाई	-	64.00 सेंमी
बैठे हुए लंबाई	81.50 सेंमी	96.00 सेंमी

(घ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए, पूर्ण रूप से फुलाया हुआ सीना 81 सें.मी. से कम नहीं होना चाहिए. पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फुलाव 5 सेंमी होना चाहिए. माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का उपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगल) को छूते रहना चाहिए. छाती का एक्स-रे करना जरूरी है. इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है.

(ङ) हड्डियों या जोड़ों में कोई अप विकास या उनकी कार्यप्रणाली में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए.

**मेरूदण्ड की स्थितियां**

(च) मेरूदण्ड अथवा त्रिक-श्रेणिफलक - संधि संबंधी रोग या अभिघात का पूर्व चिकित्सीय इतिहास, अभिदृश्यक लक्षणों सहित या उनके बिना, जो उम्मीदवार को शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन सफलतापूर्वक जीने से रोक रहे हों, के मामले में भारतीय वायु सेना में कमीशन नहीं दिया जाएगा. मेरूदण्ड अस्थिभंग/अन्तरा/कशेरूका चक्रिश्स भ्रंश का इतिहास तथा इन स्थितियों के लिए किए गए शल्य चिकित्सीय उपचार स्वीकार्य नहीं होंगे. चिकित्सा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित स्थितियां पाए जाने पर उम्मीदवार वायु सेना सेवा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे.

- (i) मेरूदण्ड का कणिकालगुल्मीय रोग  
(ii) संधिशोथ संरूप/कशेरूकासन्धिग्रह - रुमेटॉइड सन्धिशोथ तथा संबद्ध विकार

- बद्ध कशेरूकासन्धिशोथ  
- अस्थिसंधिशोथ, कशेरूकासंधिग्रह तथा अपविकसित संधि रोग  
- संधिहीन आभवात (यथा घूर्ण कफ की विक्षति, टेनिस कपूर, पुनरावर्ती कटिवेदना आदि)

- एसएलई, पॉलीमायोसाइटिस, वैस्कुलाइटिस सहित विविध रोग

- (iii) कशेरूकाग्रसर्पण/कशेरूकासन्धिग्रह  
(iv) कशेरूकाओं का सम्पीड़न अस्थिभंग  
(v) शेयूरमैन रोग (कौमर कुब्जता)  
(vi) ग्रैव मेरूदण्ड की निर्बन्धित गतियों से संबद्ध होने पर ग्रैव अग्रकुब्जता की क्षति.  
(vii) एक पार्श्वीय/द्विपार्श्वीय ग्रैव पशुका सहित प्रभाष्य तंत्रिका वैज्ञानिक या परिसंचरण कमी  
(viii) कॉब पद्धति द्वारा मापे जाने पर 15 डिग्री से अधिक पार्श्वकुब्जता

- (ix) डीजेनेरेटिव डिस्क रोग  
(x) एक से अधिक स्तर पर शमोल पर्व की मौजूदगी  
(xi) शीर्षधर पश्चकपाल और शीर्षधर अक्षक विषमताएं

(xii) ग्रैव, अभिपृष्ठ या कटि मेरूदण्ड में किसी भी स्तर पर अर्ध कशेरूका तथा/अथवा अपूर्ण रोध (संयुक्त) तथा ग्रैव, अभिपृष्ठ या कटि मेरूदण्ड में एक से अधिक स्तर पर पूर्ण कशेरूका रोध.

(xiii) सभी स्तरों पर एकपार्श्वीय त्रिकास्थि संयोजन अथवा कटि कशेरूका भवन (पूर्ण या अपूर्ण) तथा द्विपार्श्वीय अपूर्ण त्रिकास्थि संयोजन अथवा कटि कशेरूका भवन.

(xiv) विशेषज्ञ द्वारा विचार की गई कोई अन्य असामान्यता.

(छ) हल्का कार्फोसिस या लोडोसिस जहां विरूपता मुश्किल से दिखाई देती है जहां दर्द की या हरकत में रुकावट की शिकायत नहीं है, स्वीकृति में बाधा नहीं बनेगा.

(ज) दिखाई पड़ने वाले स्कोलिऑसिस के या अन्य किसी तरह की असामान्यता या मेरूदण्ड की विरूपता का जो मामूली से अधिक हो-संदेह होने पर मेरूदण्ड का उपयुक्त एक्स-रे लिया जाना है और परीक्षार्थी

को विशेषज्ञ की सलाह हेतु प्रस्तुत करना है.

(झ) एक्स-रे परीक्षा के बाद पाई गई-निम्नलिखित अवस्थाएं थल सेना में प्रवेश हेतु अयोग्यता का कारण मानी जाएगी.

- मेरूदण्ड की ग्रैनुलोमेट्स बीमारी
- आर्थराइटिस/स्पोन्डिलोसिस
- कावपद्धति से यथामापित स्कोलियोसिस जो 15 डिग्री से अधिक हो (थल सेना के लिए 10 डिग्री)
- मामूली से ज्यादा काइफोसिस/लोडोसिस
- स्पोण्डिलोसथेसिस/स्पोण्डिलिसिस / स्पोण्डिलोलिसिस
- एरनिपेटिड न्यूक्लियस, पलपोसस
- कशेरूका का संपीड़न विभंग
- श्वैरमेन की बीमारी
- प्रदर्शनीय तंत्रकीय या परिसंचारी अभाव के साथ ग्रैव पशुका
- एक से अधिक स्तर पर शमोले के नोड की उपस्थिति
- शीर्षधरानुकपाल (अटलांटो-आक्सीपीटल) तथा अटलांटो अक्षीय असंगतियां
- ‘एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय अपूर्ण स्कारलाइजेसन’
- पूर्णतः सेक्रीलाइज होने की स्थिति में एसवी 1 तथा एलवी 5 को छोड़कर अन्य स्पाइना बाइफिडा
- विशेषज्ञ द्वारा मानी गई कोई अन्य अपसामान्यता.

(ज) उम्मीदवार मानसिक विकृति या दौर पड़ने का पिछला रोगी नहीं होना चाहिए.

(ट) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सकें. उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 सें.मी. की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सकें. कर्ण नासिका की पिछली या अब की बीमारी का कोई प्रमाण न हो. वायु सेना के लिए श्रव्यतामिक्त परीक्षण किये जाएंगे. 250 एच. जैड, 8000 एच.जैड के बीच की आवर्तियों में श्रव्यतामिक्त सुनने की कमी 20 डेसिबल से अधिक नहीं हो. वाणी में किसी प्रकार की हकलाहट नहीं होनी चाहिए.

(ठ) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए. रक्त दाब सामान्य हो.

(ड) जिगर या तिल्ली बढ़ी हुई न हो. उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

(ढ) यदि किसी उम्मीदवार को हार्निया है और उसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो तो वह उम्मीदवार अनुपयुक्त होगा. ऐसे मामले में जहां हार्निया की शल्य-क्रिया की गई हो, पाठ्यक्रम आरंभ होने से पहले अंतिम चिकित्सीय परीक्षण के पहले कम से कम छः महीने बीत गये हों.

(ण) हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए.

(त) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असमानता मिलती है तो इस पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा.

(थ) अशक्तता लाने या आकृति बिगाड़ने वाले चर्म का ऐसा रोग होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

(द) उम्मीदवार को दूर दृष्टि चार्ट को ऐनक लगाकर या ऐनक हटाकर अच्छी आंख में 6/6 तथा खराब आंख में 6/9 की दृष्टि पढ़ने में समर्थ होना चाहिए. मायोपिया 2.5 डी. तथा हायपरमेट्रोपिया 3.5 डी (एस्टिमेटिज्म सहित) से अधिक नहीं होना चाहिए. यह जानने के लिए कि आंख में कोई रोग तो नहीं है आंख की आंतरिक परीक्षा औपथलमेस्कोप से की जाएगी. उम्मीदवार के दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए. वर्ण दृष्टि का मानक सी.पी. स्थल सेना के लिए सीपी III होगा. उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए. उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि उसे या



इसके परिवार के किसी सदस्य को जन्मजात रतौंधी आने का रोग नहीं हुआ है।  
जिन उम्मीदवारों ने दृष्टि की तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए रेडियल केरीटोमी करवाई हो या जिनके पास से इसे करवाने का प्रमाण मिलेगा उन्हें सभी तीनों सेवाओं से स्थाई रूप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने वर्तन दोष (रिफ्रेक्टिव एरर) को ठीक करवाने के लिए लेसिक सर्जरी करवाई हुई है, वे रक्षा सेवाओं के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

#### नौसेना उम्मीदवारों की दृष्टि मानक :

बिना चश्मे के असंशोधित	6/6	6/9
चश्मे के साथ संशोधित	6/6	6/6
निकट दृष्टि की सीमा	-	0.75
दूर दृष्टि की सीमा	+1.5	
दूरबीन दृष्टि	111	
कलर प्रिसेप्शन की सीमा	1	

#### वायु सेना के लिए दृष्टि मानक

प्रायः ऐनक पहनने वाले उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं। न्यूनतम दूरस्थ दृष्टि 6/6 एक आंख

में तथा 6/9 दूसरी आंख में, हाइपरमेट्रोपिया के लिए केवल 6/6 तक सही किए जाने योग्य। वर्ण दृष्टि दोष सीपी-I हाइपरमेट्रोपिया +2.0 डीएसपीएच प्रत्यक्ष निकट दृष्टिता - शून्य नेत्र अपवर्तनमानपीय निकटदृष्टिता : -0.5 किसी भी अनुमेय याम्योत्तम में एस्टिग्मेटिज्म +0.75 डीसीवाई एल (+2.0 के अंदर डी-मैक्स)

मैडुडोक्स रोड परीक्षण

(i) 6 मीटर पर - एक्सोफोरिया	- 6 प्रिज्म डी
एक्सोफोरिया	- 6 प्रिज्म डी
हाइपर	- 1 प्रिज्म डी
हाइपो	- 1 प्रिज्म डी
(ii) 33 सें.मी. पर- एक्सोफोरिया	- 16 प्रिज्म डी
एक्सोफोरिया	- 6 प्रिज्म डी
हाइपर	- 1 प्रिज्म डी
हाइपो	- 1 प्रिज्म डी

हस्त - त्रिविमदर्शी - सभी बीएसवी ग्रेड्स

अभिसरण - 10 सें.मी. तक के लिए दूर तथा निकट के लिए कवर परीक्षण

पार्श्वीय अपसरण/अभिसरण

शीघ्र तथा पूर्व उपलब्धि

सीटू में रेडियल केरेटोमी, प्रकाश अपवर्तन केरेटोमी/लेजर

अपवर्तन संबंधी दोषों को सही कराने हेतु की गई केरेटोमिल्यूसिस (पीआरके/लेसिक) शल्य चिकित्सा वायुसेना दायित्वों के लिए अनुमत नहीं हैं।

आईओएल रोप सहित या उसके बिना मोतिया बिन्दु की शल्य चिकित्सा कराने वाले उम्मीदवारों को भी अयोग्य घोषित किया जाएगा।

**द्विनेत्री दृष्टि** - अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होनी चाहिए (उत्तम आयाम तथा गहराई सहित संयोजन तथा स्टीरियोप्सिस)

जिन उम्मीदवारों की लेसिक शल्य चिकित्सा हुई है, उन्हें भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

(घ) यू.एस.जी. उदर जांच की जाएगी तथा किसी प्रकार की जन्मगत संरचनात्मक असामान्यता या उदर के अंगों का रोग पाए जाने पर सशस्त्र सेना

से अस्वीकृत किया जा सकता है।

(न) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए। कम से कम 14 दांत बिन्दु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य है। जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत बिन्दु होते हैं।

उम्मीदवार को तीव्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए। (प) वायुसेना के उम्मीदवारों के लिये रूटीन ईसीजी तथा ईईजी सामान्य सीमा में होने जरूरी हैं।

(फ) 'शारीरिक उपयुक्तता' प्रतिशत उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नीचे दी गई क्रियाओं के दैनिक पालन के द्वारा वे अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें :

(क) 15 मिनट में 2.5 कि.मी. की तेज दौड़

(ख) उछल कूद

(ग) दण्ड-बैठक (प्रत्येक कम से कम बीस-बीस बार)

(घ) ठोड़ी को ऊंचाई तक छूना (कम से कम आठ बार)

(ङ) 3 से 4 मीटर रस्सी पर चढ़ना

### परिशिष्ट-V

#### सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण

1. अकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता-पिता या संरक्षक को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(क) इस आशय का प्रमाण-पत्र कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाये या उपर निर्दिष्ट किसी कारण या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल ऑपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु होने जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) इस आशय का बंधपत्र कि, यदि उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इस आधार पर बर्खास्त या निकाला या वापस किया गया कि उसने उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने के लिए अपने आवेदन-प्रपत्र में जानबूझ कर गलत विवरण दिया अथवा महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया अथवा उसे उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अनुशासनिक आधार पर बर्खास्त या निकाला अथवा वापस किया गया अथवा उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान विवाह के कारण अथवा किसी ऐसे कारण से जो कैडेट के नियंत्रण में है, वह अपने प्रशिक्षण की अवधि पूरी नहीं करता अथवा वह कैडेट, ऊपर बताए गये के अनुसार किसी कमीशन को स्वीकार नहीं करता तो गारंटीकर्ता तथा कैडेट अलग-अलग तथा सयुक्त रूप से तत्काल सरकार को वह रोकड़ राशि देने के लिए बाध्य होंगे जो सरकार नियत करेगी। किंतु यह राशि उस व्यय से अधिक नहीं होगी जो सरकार ने कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान उस पर खर्च की है तथा कैडेट द्वारा सरकार से प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्ते सहित सारी राशि पर ब्याज भी लगेगा जिसकी दर सरकार द्वारा दिये गये ऋण पर लगने वाली ब्याज दर, जो उस समय लागू है, के समान होगी।

2. आवास, पुस्तकें, वर्दी, रहने तथा चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, कैडेट के माता-पिता या संरक्षक को अपना निजी खर्च वहन करना अपेक्षित होगा। सामान्यतः यह व्यय 3,000.00 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस व्यय को भी पूरी तरह या आंशिक रूप से वहन करने की स्थिति में नहीं हैं, तो ऐसे कैडेटों के माता-पिता या संरक्षक जिनकी मासिक आय 21,000/- रुपए प्रतिमाह से कम है, के मामले में सरकार द्वारा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 1,000.00 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। जिन कैडेट्स के माता-पिता या संरक्षक की मासिक आय 21,000/- रुपए प्रतिमाह से अधिक है, वे वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे। यदि एक से अधिक पुत्र/वार्ड (प्रतिपाल्य) एनडीए, आईएमए, ओटी, तथा नौसेना और वायु सेना की संगत प्रशिक्षण प्रतिस्थापना में साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो वे दोनों ही वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

3. अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी।

(क) प्रतिमास ₹ 1500 की दर से	₹ 7500.00
पांच महीने का जेब खर्च	
(ख) कपड़ों एवं उपस्कर की मर्दों के लिए	₹ 17865.00
(ग) सेना समूह बीमा निधि	₹ 4250.00
(घ) प्रथम सत्र के दौरान अनुषंगिक व्यय	₹ 7516.00

**योग ₹ 37131.00**

यदि उम्मीदवार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी मिल जाती है, तो उपर्युक्त उल्लिखित राशि में से निम्नलिखित राशि वापिस लौटा दी जाएगी।

(क) प्रतिमाह रु. 400.00 बी दर रु. 2000.00 से पांच माह के लिए पॉकेट

भत्ता (सरकारी वित्तीय

सहायता के अनुरूप)

(ख) कपड़ों एवं उपस्कर की मर्दों रु. 13935.00 के लिए

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां/वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं :

(1) **परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति** : यह छात्रवृत्ति, पासिंग आउट पाठ्यक्रम के अंतर्गत अकादमिक क्षेत्र में समग्रतः प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कैडेट को प्रदान की जाती है। एक बारगी छात्रवृत्ति की राशि 5000/- रु. है।

(2) **कर्मल कैंडिल फेंक मेमोरियल छात्रवृत्ति** : यह ₹ 360 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति उस मराठा कैडेट को दी जाएगी जो भूतपूर्व सैनिक का पुत्र है। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

(3) **कौर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति** : दो छात्रवृत्तियां उन दो कैडेटों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतर स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक छात्रवृत्ति ₹ 37 प्रति मास की होगी तथा अधिकतम 4 वर्ष के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी, देहरादून तथा वायु सेना फ्लाईंग कॉलेज तथा भारतीय नौ सेना अकादमी, इझीमाला में जहां कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, दी जाती रहेगी। छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जब कैडेट उपर्युक्त संस्थाओं में अच्छी प्रगति करता रहे।

(4) **असम सरकार छात्रवृत्ति** : दो छात्रवृत्तियां असम के कैडेटों को प्रदान की जाएगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति ₹ 30 प्रति मास की रहेगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिये बिना प्रदान की जाएगी। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, उन्हें सरकार की ओर से अन्य

वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(5) **उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियां** : दो छात्रवृत्तियां ₹ 30 प्रति मास की तथा ₹ 400 की परिधान वृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैडेटों की योग्यता तथा आय के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में संतोषजनक प्रगति करने पर 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। जिन कैडेटों को ये छात्रवृत्तियां मिलेंगी उन्हें अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार से नहीं मिलेंगी।

(6) **केरल सरकार छात्रवृत्ति** : पूरे वर्ष के लिए ₹ 480 की एक योग्यता छात्रवृत्ति रा.र. अकादमी में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए केरल राज्य द्वारा उस कैडेट को दी जाती है जो केरल राज्य का अधिवासी निवासी है और जो रा.र. अकादमी हेतु अखिल भारतीय सं.लो.से.आ. की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है भले ही उसने वह परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज से या भारत भर में किसी सैनिक स्कूल से उत्तीर्ण की हो। ऐसा करते समय कैडेट के पिता/संरक्षक की आर्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(7) **बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार** : यह ₹ 500 का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी से प्रत्येक कोर्स के लिए मिलता है, आवेदन पत्र कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलते हैं।

(8) **उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियां** : तीन छात्रवृत्तियां - एक थल सेना, एक नौ सेना तथा एक वायु सेना के कैडेट के लिए प्रत्येक ₹ 80 प्रतिमास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियां कैडेटों की योग्यता तथा आय साधन के आधार पर दी जाएगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय ₹ 5000 प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा तीसरी छात्रवृत्ति बिना उसके माता-पिता या अभिभावकों की आय को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैडेट को दी जाएगी।

(9)	राज्य सरकार	राशि	पात्रता
	पश्चिम बंगाल * आय प्रारंभिक एकमुश्त अनुदान प्रति सत्र छात्रवृत्ति *आय समूह सारणी निम्न - 9000/- रुपये प्रतिमाह तक मध्य - 9001/- रुपये से 18000/- प्रति माह तक उच्च - 18000/- रुपये से प्रति माह से अधिक	निम्न 5000/- मध्यम 3750/- उच्च 2500/- 1800/- 1350/- 900/-	(i) कैडेट भारतीय नागरिक होना चाहिए और कैडेट और/अथवा उसके माता-पिता पश्चिम बंगाल राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए अथवा उनका स्थायी निवास स्थान पश्चिम बंगाल होना चाहिए। (ii) कैडेट को मैरिट पर प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति अथवा वजीफे के सिवाय भारत सरकार और/अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण से कोई अन्य वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त नहीं होता है।
(10)	गोवा	1000/- रुपये प्रति माह प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, (अधिकतम 24 माह अथवा कोर्स की अवधि के दौरान, जो भी कम हो) और 12000/- रुपये का एकबारगी वर्दी भत्ता.	(i) कैडेट के माता-पिता/अभिभावक की आय की सीमा 15,000/- रुपये प्रति माह (1,80,000/- रुपये प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ii) अजा/अजजा/अपिप से संबंधित की आय सीमा 37500/- रुपये प्रति माह (4,50,000/-) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (iii) वे किसी भी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति/निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त न कर रहे हों।

(11)	नागालैंड	1,00,000/- रुपये एकबारगी भुगतान	नागालैंड राज्य का अधिवासी होना चाहिए.
(12)	मणिपुर	1,00,000/- रुपये एकबारगी भुगतान	मणिपुर राज्य का अधिवासी होना चाहिए.
(13)	अरुणाचल	प्रदेश छात्रवृत्ति 1000/- रुपये प्रति माह एकबारगी वर्दी भत्ता 12,000/- रुपये	अरुणाचल प्रदेश राज्य का अधिवासी होना चाहिए.
(14)	गुजरात	छात्रवृत्ति 6000/- रुपये प्रति वर्ष	गुजरात के सेवारत/भूतपूर्व सैनिक मूल/अधिवासी सैनिक (भूतपूर्व/सेवारत अधिकारी सहित) के आश्रित/अधिवासी को.
(15)	<b>उत्तराखंड</b> (क) उत्तराखंड के अधिवासी एनडीए कैडेटों हेतु 250/- रु. प्रतिमाह की जेब खर्च राशि ऐसे कैडेटों के पिता/संरक्षक को प्रदान की जाती है (पूर्व-सैनिक/विधवा के मामले में संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से)। (ख) उत्तराखंड के अधिवासी एनडीए कैडेटों के पिता/संरक्षक को उच्च शिक्षा निदेशालय, हलद्वानी के माध्यम से 50,000/- रु. का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।		
(16)	पंजाब	1,00,000/- रुपये एकबारगी भुगतान	पंजाब राज्य का अधिवासी होना चाहिए.
(17)	राज्य सरकार, सिक्किम	सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए 1.5 लाख रु.	सभी अधिकारी प्रवेश योजनाओं के लिए सिक्किम के सफल उम्मीदवारों हेतु पुरस्कार.
(18)	<b>उड़ान अधिकारी अनुज नांचल स्मारक छात्रवृत्ति.</b> छठे सत्र में समग्रतः द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले वायु सेना कैडेट को 1500/- रु. (एकबारगी भुगतान)।		
(19)	<b>पाइलट अधिकारी गुरमीत सिंह बेदी स्मारक छात्रवृत्ति.</b> पायलट अधिकारी गुरमीत सिंह बेदी स्मारक छात्रवृत्ति। छठें सत्र में पासिंग आउट के समय समग्रतः सर्वश्रेष्ठ वायु सेना कैडेट को 1500/- रु. (एकबारगी भुगतान)।		

**(20) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति :** हिमाचल प्रदेश के कैडेटों को 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए छात्रवृत्तियां 30 रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 40 रुपये प्रतिमास मिलेगा। यह छात्रवृत्ति उन कैडेटों को मिलेगी जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रुपये प्रतिमास से कम होगी। जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा है उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

**(21) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति :** तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स ₹ 30 प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में ₹ 400 सज्जा भत्ता (कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक/संरक्षक की मासिक आय ₹ 500 से अधिक न हो। पात्र कैडेट अपना आवेदन कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को, वहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

**(22) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां :** कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने वाले कर्नाटक राज्य के कैडेटों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। छात्रवृत्ति की राशि 1000/- रु. (एक हजार रुपए) प्रतिमाह और वर्दी (आउटफिट) भत्ते की राशि प्रथम सत्र में 12000/- रु. होगी।

**(23) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति :** बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में ₹ 50/- प्रतिमास की 25 योग्यता छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छः समयावधि के पूरे समय के वास्ते एक बार और ₹ 650/- वस्त्र तथा उपस्कर के वास्ते देना शुरू किया है। जिस कैडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा। पात्र कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमांडेंट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

**(24) फ्लाईंग आफिसर डीवी पिंदू स्मारक छात्रवृत्ति :** गुप्त कैप्टन एम. वशिष्ठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में वरीयताक्रम में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कैडेटों को पहला समेस्टर पूरा करने पर दूसरे सत्र के समाप्त होने तक, एक सत्र के लिए ₹ 125/- प्रतिमाह की दर से तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की है सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैडेट उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। पात्र कैडेट प्रशिक्षण पर पहुंचने के बाद कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

**(25) महाराष्ट्र राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के वार्डों को वित्तीय सहायता**

महाराष्ट्र के भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों/सैनिकों के जो वार्ड एनडीए में कैडेट के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में 50,000/-

रुपए दिए जाएंगे।

कैडेटों के माता-पिता/संरक्षकों को अकादमी से प्राप्त प्रमाण-पत्र के साथ अपने आवेदन पत्र को संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्तियों पर लागू निबंधन और शर्तें कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे -411023 से प्राप्त की जा सकती हैं।

**(26) एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हरियाणा के अधिवासी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता।**

हरियाणा राज्य सरकार ने एनडीए/आईएमए/ओटीए तथा राष्ट्रीय स्तर की अन्य रक्षा अकादमियों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले हरियाणा राज्य के अधिवासी प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) के नगद पुरस्कार की घोषणा की है।

**(27) एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के अधिवासी कैडेटों को प्रोत्साहन।** चंडीगढ़ प्रशासन ने उन कैडेटों को 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु योजना प्रारंभ की है जो संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के निवासी हैं तथा जिन्होंने एनडीए में प्रवेश लिया है।

5. चुने हुए उम्मीदवारों के अकादमी में आने के बाद तत्काल उनके लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी।

(क) अंग्रेजी

(ख) गणित

(ग) विज्ञान

(घ) हिन्दी

(क), (ख) तथा (ग) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की हायर सेकेंडरी परीक्षा के स्तर से ऊंचा नहीं होगा।

(घ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह जांचा जायेगा कि उम्मीदवार को अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का कितना ज्ञान है। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के उपरांत अध्ययन के लिए उदासीन न हो जाएं।

**प्रशिक्षण :**

6. तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 3 वर्ष के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दिया जाता है जो एक सर्व सेना संस्था है। पहले ढाई वर्ष का प्रशिक्षण तीनों सेनाओं के लिए समान है। सफल होने पर कैडेटों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा बीएससी/बीएससी (कम्प्यूटर)/बीए डिग्री प्रदान की जायेगी।

नौसेना अकादमी के लिए चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी, इझीमाला में 4 वर्ष की अवधि के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार

का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम को भारतीय नौसेना अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने (पासिंग आउट) पर बी.टेक डिग्री प्रदान की जाएगी।

7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने के बाद थल सेना कैडेट भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में, नौ सेना कैडेट, भारतीय नौसेना अकादमी इझीमाला में और वायु सेना कैडेट, ए.एफ.ए. हैदराबाद जाएंगे।

8. भारतीय सेना अकादमी में सेना कैडेटों को 'जैन्टलमैन कैडेट' कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। ताकि वे इन्फेन्ट्री के उप यूनियनों का नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सकें। प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने के बाद जैन्टलमैन कैडेटों को उनके शेष वन (shape-एक) शारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन दिया जाता है।

9. नौ सेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौ सेना का कार्यपालक शाखा के लिए चुना जाता है, भारतीय नौसेना अकादमी इझीमाला में एक वर्ष की अवधि के लिए और आगे प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें उप लेफ्टिनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

10. वायु सेना कैडेटों को हवाई उड़ान का डेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर अनन्तिम रूप से फ्लाईंग अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है। उनके बाद छः महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थायी रूप से कमीशन अफसर के रूप में समाहित कर दिया जाता है।

**सेवा की शर्तें**

11. सेना अधिकारी एवं वायु सेना व नौ सेना के समकक्ष रैंक.

**(i) कैडेट प्रशिक्षण हेतु नियत वृत्तिका**

जैन्टलमैन कैडेट, सेवा अकादमियों अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, की पूरी प्रशिक्षण अवधि के दौरान ₹ 21,000/- प्रति माह (15,600/- रुपये पे बैंड के वेतन के रूप में तथा ₹ 5,400/- का ग्रेड पे) की वृत्तिका पाने के हकदार होंगे।

**(ii) वेतन**

<b>(क) रैंक</b>	<b>पे बैंड (₹)</b>
लेफ्टिनेंट से मेजर	15,600-39,100
(पे बैंड-3)	
लेफ्टिनेंट कर्नल से मेजर जनरल	₹ 37,400-67,000
(पे बैंड-4)	
लेफ्टिनेंट एचएजी जनरल मान*	67,000 (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%) - 79,000

एचएजी+ 75,500 (वार्षिक वेतन मान वृद्धि @3%) - 80,000

(\*लेफ्टिनेंट जनरल के कुल संख्या के 1/3 पर लागू होगी.)

वीसीओएस/सेना 80,000 (नियत)

कमांडर/लेफ्टिनेंट

जनरल (एनएफएसजी)

सीओएस 90,000 (नियत)

(ख) वेतन के अतिरिक्त ग्रेड पे भी निम्नानुसार दी जाएगी :-

लेफ्टिनेंट ₹ 5,400/-

कैप्टन ₹ 6,100/-

मेजर ₹ 6,600/-

लेफ्टिनेंट कर्नल ₹ 8,000/-

कर्नल ₹ 8,700/-

ब्रिगेडियर ₹ 8,900/-

मेजर जनरल ₹ 10,000/-

**(ग) लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक से रैंक के अधिकारियों को सेना सेवा वेतन (एमएसपी) के रूप में 6,000/- ₹ प्रति माह की एक नियत धनराशि भी देय है।**

(iii) योग्यता वेतन तथा अनुदान अधिकारियों की उनकी योग्यता के आधार पर विशेष निर्धारित योग्यता होने पर ₹ 6000/-, 9000/-, 15000/- या 20000/- ₹ का एकमुश्त योग्यता अनुदान देय है सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नीचे दिए अनुसार योग्यता वेतन देय हैं :

(i) मास्टर उड़ान अनुदेशक - ₹ 500/- प्रतिमाह

(ii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I - ₹ 400/- प्रतिमाह

(iii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-II - ₹ 280/- प्रतिमाह.

(iv) मास्टर ग्रीन कार्ड धारक वायुयान चालक - ₹ 400/- प्रतिमाह.

(v) ग्रीन कार्ड धारक वायुयान चालक - ₹ 280/- प्रतिमाह.

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को नीचे दिए गए अनुसार उड़ान भत्ता देय है :

(क) ब्रिगेडियर तथा ऊपर ₹ 10,500/-

(ख) मेजर से कर्नल ₹ 14,000/-

(ग) कैप्टन ₹ 11,000/-

(घ) लेफ्टिनेंट ₹ 9,000/-

इस समय एक अधिकारी वेतन के अलावा निम्नलिखित भत्ते प्राप्त करता है :

(क) महंगाई भत्ता सिविल राजपत्रित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होने वाली समान दरों से और उन्हीं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा।

(ख) ₹ 400/- प्रति माह के दर से किट रख रखाव भत्ता.



(ग) तैनाती के क्षेत्र एवं रैंक के आधार पर कार्यस्थल क्षेत्रों में तैनात अधिकारी ₹ 6780/- से ₹ 8400/- प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक अति सक्रिय कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता ₹ 4200/- से ₹ 5200/- प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता तथा ₹ 1600/- से ₹ 2000/- प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक संशोधित कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता के लिए पात्र होंगे।

(घ) प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त अधिकारियों को 9000 फीट और उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को ₹ 1060/- प्रतिमाह से ₹ 11,200/- प्रतिमाह तक की रेंज में हाई एल्टीट्यूड भत्ते के पात्र होंगे जो अधिकारी के रैंक और तैनाती के स्थान पर निर्भर करेगा।

(ङ) परिधान भत्ता : एक समय किट के लिए ₹ 14,000/- की दर से आरंभिक भत्ता और प्रति तीन वर्षों के लिए ₹ 3,000/-

(च) परिवहन भत्ता : अधिकारियों को ए-1/ए वर्ग के शहरों में परिवहन भत्ता ₹ 3200/- + उस पर महंगाई भत्ता प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर ₹ 1600/- उस पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा। रक्षा बलों के लिए निर्दिष्ट भत्तों के मामले में, इन भत्तों की दरों को 50% से आगे बढ़ाया गया है क्योंकि महंगाई भत्ता 100% से ऊपर चला गया है।

12. (क) सेना सामूहिक बीमा राशि एक अनिवार्य

सामूहिक योजना है जो कैडेटों, जिनमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नौसेना और वायु सेना कैडेट शामिल हैं द्वारा कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ करने की तारीख से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने तक तीन वर्ष के लिए एक बार में रु. 4250/- की अग्रिम एकमुश्त अप्रतिदेय राशि की अदायगी पर ₹ 10 लाख के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। पदोन्नति के मामले में, ऐसा होते ही प्रत्येक पदोन्नति अवधि के लिए ₹ 770/- की अतिरिक्त बीमा राशि का भुगतान करना होगा। विकलांगता के कारण जिन्हें चिकित्सीय आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से बाहर कर दिया जाता है। उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए बीमाकृत राशि के 50 प्रतिशत तक का लाभ दिया जाता है अर्थात् 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 5 लाख रु. जो कि 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए एक लाख रु. तक आनुपातिक रूप से कम हो जाता है। प्रशिक्षण के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के कारण बाहर किए जाने वाले कैडेटों को 50,000/- का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा और प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के दौरान 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के कारण अशक्त ठहराए जाने पर बाहर किए गए कैडेटों को 1 लाख रु. का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। मदि. रापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ

और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार अथवा अवांछनीय माने जाने अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले कैडेट भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) बीमा: भारतीय सैनिक अकादमी में वजीफा (स्टाइपेंड) प्राप्त कर रहे जेंटलमैन कैडेटों का नियमित अधिकारियों पर यथा लागू मुख्य एजीआई योजना के अनुसार पहली सितंबर 2013 से 5000/- रु. मासिक योगदान सहित 50 लाख रु. के लिए बीमा किया जाता है। विकलांगता के कारण जिन्हें चिकित्सीय आधार पर भारतीय सैनिक अकादमी से बाहर कर दिया जाता है, उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए बीमाकृत राशि के 50 प्रतिशत का लाभ दिया जाता है अर्थात् 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 25 लाख रु. के लिए बीमा किया जाएगा। जो 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए 5 लाख रु. तक आनुपातिक रूप से कम हो जाता है और तथापि, 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए 50000/- रु. के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। मदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार अथवा अवांछनीय माने जाने अथवा स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले कैडेट भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

### 13. प्रोन्नति के अवसर

क्र. सं.	सेना	नौसेना	वायु सेना	मूल पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम संगणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
(क)	लैफ्टिनेंट	सब लैफ्टिनेंट	फ्लाईंग ऑफिसर	कमीशन प्राप्त होने पर
(ख)	कैप्टन	लैफ्टिनेंट	फ्लाईट लैफ्टिनेंट	02 वर्ष
(ग)	मेजर	लैफ्टिनेंट कमांडर	स्क्वॉड्रन लीडर	06 वर्ष
(घ)	लैफ्टिनेंट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर	13 वर्ष
(ङ)	कर्नल (चयन)	कैप्टन (चयन)	ग्रुप कैप्टन (चयन)	15 वर्ष
(च)	कर्नल (समयमान)	कैप्टन (समयमान)	ग्रुप कैप्टन (समयमान)	26 वर्ष
(छ)	ब्रिगेडियर	कोमोडोर	एयर कोमोडोर	चयन के आधार पर
(ज)	मेजर जनरल	रियर एडमिरल	एयर वाइस मार्शल	पर
(झ)	लैफ्टिनेंट जनरल	वाइस एडमिरल	एयर मार्शल	
(ञ)	जनरल	एडमिरल	एयर चीफ मार्शल	

### 14. सेवा निवृत्ति लाभ

पेंशन, उपदान और ग्रेच्युटी अवाई समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

### 15. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार होगी।

रो.सं. 1275